

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर-चांपा छगग
// प्रेस विज्ञप्ति //
मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाईलड हेल्पलाईन 1098 के तहत जिला स्तरीय पद पर कर्मचारी की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना के तहत चाईलड हेल्पलाईन 1098 संचालन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार जिला स्तर पर चाईलड हेल्पलाईन युनिट के 01 स्वीकृत संविदा पद चाईलड हेल्पलाईन सुपरवाइजर के एकमुश्त संविदा वेतन पर भर्ती के लिये पात्र आवेदकों से आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से दिनांक 06/10/2026 से 23/10/2026 तक सायं 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर चांपा (छ.ग) के पते पर आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट <https://janjgir-champa.gov.in> व कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

पृ0क0 /1526/मबावि/स्था/2026-27

जांजगीर, दिनांक 5.10.2026

प्रतिलिपि:-

01. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग) को सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग) को सादर सूचनार्थ।
03. उपसंचालक जनसम्पर्क विभाग जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।
04. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग) को सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन को जिले की वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

क्रमांक / 1528 म.बा.वि. / स्था / 2026-27

जांजगीर दिनांक 5.10.2026

"विज्ञापन"

**मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाईलड हेल्पलाईन 1098 के तहत जिला स्तरीय
पद पर कर्मचारी की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन**

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित मिशन वात्सल्य योजना के तहत चाईलड हेल्पलाईन 1098 संचालन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार जिला स्तर पर चाईलड हेल्पलाईन यूनिट के 01 स्वीकृत संविदा पद चाईलड हेल्पलाइन सुपरवाइजर पर एकमुश्त संविदा वेतन पर भर्ती के लिये पात्र आवेदकों से आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से दिनांक 06/10/2026 से 23/10/2026 तक सायं 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के पते पर आमंत्रित हैं। आवेदन संबंधित पदों की नियुक्ति एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है:-

01. जिला चाईलड हेल्प लाईन युनिट-जांजगीर-चांपा छ.ग.)

क्र.	पदनाम	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मसिक वेतन राशि रुपये में
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1.	चाईलड हेल्पलाइन सुपरवाइजर	0	1	0	0	01	22000 / -

02. जिला स्तरीय चाईलड हेल्पलाईन यूनिट हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव:-

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	वांछनीय योग्यता
1.	चाईलड हेल्पलाइन सुपरवाइजर	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/सामुदायिक समाज शास्त्र/सामाजिक विज्ञान के विषय में स्नातक।	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस के कार्य करने की क्षमता।	- अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दिया जावेगा। - आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दिया जावेगा।

03. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

04. आयु सीमा:-

- 4.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 4.2 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।

4.3 आयु का प्रमाणन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे:-

4.3.1 जन्म प्रमाण-पत्र या

4.3.2 उनके लिए 10वीं की अंक सूची ।

05. निवास:- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

06. पदों हेतु आरक्षण:- संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

07. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

08. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

टीप:-कंडिका-7 एवं 8 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

09. अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है:-

9.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

9.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

9.3 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

टीप:-आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (राज्य स्तर पर संचालक एवं जिलों में कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

10. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।

11. योजना के अंतर्गत नियुक्त संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।

12. नियुक्ति प्राधिकारी:- जिला स्तर पर संचालित होने वाले चाईल्ड हेल्पलाइन यूनिट एवं रेल्वे स्टेशन चाईल्ड हेल्पलाइन डेस्क हेतु स्वीकृत पदों के लिए जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।

13. अंकिय प्रणाली:- निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी:-

13.1 अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 60 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

13.2 निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात् प्रत्येक 01 वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

- 13.3 आपातकालीन हेल्पलाईन के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
- 13.4 उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- 13.5 व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनों रखा जायेगा वहां प्रत्येक के लिए 10-10 अंक होंगे।
- 13.6 अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जावेगी। यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
14. उपरोक्तानुसार अंकिय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 13 के उप कंडिका 13.1, 13.2 एवं 13.3 पर प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए (1:5) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।
- 14.1 जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्पलाईन युनिट के इस पद हेतु कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जावेगा।
- 14.2 जिला स्तरिय पदों हेतु गठित चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार सूची वाले तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
- 14.3 प्रत्येक पद के लिये 25 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

15. नियुक्ति की अवधि:-

- 15.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 03 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।
- 15.2 चाईल्ड लाईन में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए राज्य/जिला स्तर के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 15.3 नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताये भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 15.4 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे, जिसके बाद विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 15.5 नियुक्ति के पश्चात यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तों का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

16. आवेदन करने संबंधी निर्देश निम्नानुसार है:-

- 16.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

- 16.2 लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- 16.3 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।
- 16.4 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।
- 16.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
17. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।
18. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कार्यालयीय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर-चांपा के सूचना पटल पर एवं <https://janigir-champa.gov.in> पर देखी जा सकती है।
19. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई-मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जावे, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सकें।

महत्वपूर्ण टीप:-

1. दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

स्वयं द्वारा
अभिप्रेषित
पासपोर्ट साईज
फोटो पर हस्ताक्षर
जिसका आधा भाग
फोटो एवं आधा
आवेदन पत्र में होना
चाहिए चस्पा करें।

1. आवेदित पद का नाम :-.....
2. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में):-.....
(अंग्रेजी में) :-.....
3. पिता/पति का नाम :-.....
4. स्थायी पता :-.....
.....
5. (वर्तमान पता) :-.....
.....
दूरभाष/मो.नं.
6. जन्मतिथि (अंको में) :-.....
(शब्दों में) :-.....
7. दिनांक 01/01/2026 को :-वर्ष माह दिन
(पुष्टि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।)
आयु
8. लिंग पुरुष/महिला :-.....
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति.....वर्ग.....
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं ? :- हाँ / नहीं
(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।)
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :-.....
12. यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या :-.....
13. शैक्षणिक योग्यता:- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था/वि.वि. का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता :-.....

15 अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-.....

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण	कार्य का प्रकार

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक

17. रोजगार कार्यालय का नाम व जिला

18. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त/जारी) संलग्न करें।

19. निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त/जारी) संलग्न करें।

20. अनिवार्य संलग्नकों की सूची:-

1. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र

2. 12 वीं अंकसूची

3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र

4. मूल निवास प्रमाण पत्र।

1. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।

2. पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर आईडी इत्यादि।

3. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रु डाक टिकट सहित।

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1.....2.....3.....

4.....5.....6.....

7.....8.....9.....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

// घोषणा पत्र //

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पत्र के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पता

मोबाइल नम्बर-

ईमेल आईडी-